



राज्य अभियोजन अधिकारी सेवा संघ उ०प्र०

(उ०प्र० शासन के शा०सं० 924/आठ-9-31/179/78 वि. 27.2.82 द्वारा मान्यता प्राप्त)
कमरा नं० 15, अभियोजन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, लखनऊ

अध्यक्ष
अवधेश कुमार सिंह
9454456321

महासचिव
विजय कुमार
9454456462

कोषाध्यक्ष
अमित कुमार यादव
9454456968

सचिव
सुनील कुमार संगम

उपाध्यक्ष
विक्रम यादव (लखनऊ जोन)
विजय सिंह (वाराणसी जोन)
राकेश कुमार मौर्या (वरेली जोन)
अशोक कुमार त्रिपाठी (आगरा जोन)

संयुक्त सचिव
विवेक श्रीवास्तव (लखनऊ जोन)
वनीत कुमार त्रिपाठी (वाराणसी जोन)
कमलेन्द्र कुमार विमल (वरेली जोन)
नीतू वर्मा (आगरा जोन)

उपसचिव
सुशील पाण्डेय (लखनऊ जोन)
नमन प्रसाद अमन (वाराणसी जोन)
राजेन्द्र कुमार (वरेली जोन)
प्रशांत कुमार मिश्रा (आगरा जोन)

पत्रांक मे.मे.....

दिनांक 24.5.19.

सेवा मे

माननीय

मुख्यमन्त्री महोदय

उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

विषय: जनपदीय न्यायालयों में कार्यरत राज्य अभियोजन सेवा के अधिकारियों को न्यायिक अवकाश की तिथियों पर अवकाश उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन:-

माननीय महोदय,

सादर अवगत कराना है कि राज्य अभियोजन सेवा के अधिकारियों का प्रदेश में सम्पूर्ण नियतन 1266 है और उसमें से लगभग 1086 अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन कार्य किया जाता है। माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि न्यायालय तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक अवकाशों एवं निर्बन्धित अवकाशों की तिथियाँ सुभिन्न हैं। ऐसी परिस्थिति में उक्त अधिकारियों को राजकीय अवकाशों की तिथियों में न्यायालय में, तथा न्यायिक अवकाश की तिथियों में भी कार्यालय आकर कार्य करना पड़ता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 के प्राविधानों के दृष्टिगत एक अनुचित परिस्थिति है तथा यह अभियोजकों में असन्तोष तथा उनकी कार्यक्षमता में प्रतिकूलकारक सिद्ध होती है।

अतः माननीय महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये अधीनस्थ व सत्र न्यायालयों में कार्यरत अभियोजकों को न्यायिक अवकाश की तिथियों में अवकाश घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा की जाय। संघ सदैव माननीय महोदय का आभारी रहेगा।

सादर!

(अवधेश कुमार सिंह)

अध्यक्ष

राज्य अभियोजन अधिकारी सेवा संघ उ.प्र.